


कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(कृषि रक्षा अनुभाग)
कृषि भवन, लखनऊ।

पत्रांक- 657 / कृ0र0 / दस-40 / 19-20 दिनांक: सितम्बर 29, 2020
समस्त विनिर्माता {टेक्निकल / फार्मुलेशन}
उत्तर प्रदेश।


भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-जी0एस0आर0 355 ई दिनांक 05.06.2020 के द्वारा कीटनाशी {द्वितीय संशोधन} नियम, 2020 निर्गत की गई है, जो लेबल तथा लीफलेट से सम्बन्धित है।

उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप कीटनाशी कीटनाशी {द्वितीय संशोधन} नियम, 2020 का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें। उक्त नियम भारत सरकार की साइट egazette.nic.in पर उपलब्ध है।


अपर कृषि निदेशक(कृषि रक्षा) /
लाइसेंस अधिकारी (कीट0उत्पा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन- / कृ0र0 / दस-40 / 19-20 दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि समस्त कीटनाशी निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि प्रदेश में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-जी0एस0आर0 355 ई दिनांक 05.06.2020 के द्वारा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित कराये तथा बिक्री केन्द्रों पर निर्धारित मानक के अनुसार ही लेबल एवं लीफलेट युक्त कीटनाशी रसायन की बिक्री सुनिश्चित कराये।


अपर कृषि निदेशक(कृषि रक्षा) /
लाइसेंस अधिकारी (कीट0उत्पा0)
उत्तर प्रदेश।